

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

पीताम्बर बनाम कन्हैयालाल

तारीख हुक्म

33/2026

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

05/02/2026

पत्रावली प्रस्तुत हुई | अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित | अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी | पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 25/02/2026 को पेश हो।

25/02/2026

आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई | संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि रेस्पों. संख्या 1 लगा. 6 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा इस आशय का पेश किया कि ग्राम नरसिंहपुरा उर्फ रिक्शा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर में भूमि साबिक खसरा नम्बर 29 रकबा 1 बीघा 12 बीस्वा. खसरा नम्बर 20 रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा, खसरा नम्बर 24 रकबा 1 बीघा 11 बिस्वा, खसरा नम्बर 28 रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा व खसरा नम्बर 29/260 रकबा 15 बिस्वा कुल किता 5 कुल रकबा 6 बीघा 9 बिस्वा पूर्व खातेदार गोविन्दा पि. मु. लक्ष्मना व गोविन्दा पि. मु. गणेश जाति ब्राह्मण के खातेदारी में थी। वादपत्र में वर्णित भूमि जरिये नामान्तरकरण संख्या 88 दिनांक 30.06.1986 के द्वारा बट्टीनारायण, सूजीलाल, रामकरण पुत्रान काना जाति जांगीड ब्राह्मण के नाम खातेदारी में अंकित की गई. तत्पश्चात् उक्त वर्णित भूमि जरिये नामान्तरकरण संख्या 89 दिनांक 30.06.1986 बट्टीनारायण पुत्र मांगीलाल जाति बागड़ा ब्राह्मण (पिता वादी संख्या 1 लगायत 5 व प्रतिवादी संख्या 6) के नाम बतौर खातेदार राजस्व रेकार्ड में अंकित की गई। विवादग्रस्त भूमि वादी संख्या 1 लगायत 5 का पिता व वादी संख्या 6 का पति बतौर खातेदार काबिज रहकर काशत करता रहा तथा भूमि का लगान राज्य सरकार को अदा करता रहा, उनकी मृत्यु के पश्चात विवादित भूमि पर वादीगण बतौर खातेदार काबिज काशत करते रहे एवं लगान राज्य सरकार को अदा करते रहे। वर्तमान भू-प्रबन्ध सर्वेक्षण जो तहसील सांगानेर में दिनांक 01.07.1989 से दिनांक 30.06.2009 तक की अवधि हेतु सम्पन्न किया गया है, में वाद पत्र के चरण क्रमांक 1 में वर्णित भूमि के वर्तमान खसरा नम्बर 43 रकबा 0.15 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 44 रकबा 0.20 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 45 रकबा 0.33 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 52 रकबा 0.33 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 53 रकबा 0.55 हैक्टेयर कुल किता 5 कुल रकबा 1.56 हैक्टेयर बनाये जाकर बतौर खातेदार वादीगण के नाम अंकित किये गये। प्रतिवादीगण का वादीगण के कब्जा काशत एवं खातेदारी की वादपत्र के चरण क्रमांक 1 में वर्णित भूमि से कभी भी कोई हक, सम्बन्ध व अधिकार नहीं रहा है तथा न ही प्रतिवादीगण का कब्जा ही रहा है, बल्कि वादीगण के कब्जा काशत व खातेदारी की उक्त वर्णित में लगती हुई



राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

पीताम्बर बनाम कन्हैयालाल

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

तारीख हुक्म

33
2026

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुक्म की तामील
में जारी हुए

प्रतिवादीगण के खातेदारी की भूमि है तथा प्रतिवादीगण अपने खातेदारी की भूमि पर ही कब्जा में है। यह कि वादी के खातेदारी व कब्जा काशत की भूमि का भू-प्रबन्ध सर्वेक्षण के पूर्व कुल रकबा 6 बीघा 9 बिस्वा था, जिसका कन्वर्टेड रकबा 1.63 हैक्टेयर होता है, किन्तु दौराने भू-प्रबन्ध सर्वेक्षण वादीगण को कुल रकबा 1.56 हैक्टेयर ही दिया गया जो पूर्व के मुकाबले करीबन 0.07 हैक्टेयर कम है, जो भू-प्रबन्ध विभाग द्वारा बिना वादीगण को कोई भी नोटिस अथवा सूचना दिये तथा बिना सबूत साक्ष्य प्रस्तुत करने व सुनवाई का अवसर प्रदान किये ही किया गया है, भू-प्रबन्ध विभाग द्वारा वर्तमान तुलनात्मक क्षेत्रफल से स्पष्ट है कि गत खसरा नम्बर 24 से बनाया गया वर्तमान खसरा नम्बर 43 रकबा 0.15 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 44 रकबा 0.20 हैक्टेयर में कुल रकबा 0.04 हैक्टेयर पूर्व से कम दिया गया है, जबकि गत खसरा नम्बर 29/260 रकबा 15 बिस्वा में 0.19 हैक्टेयर के स्थान पर खसरा नम्बर 53 में 0.17 हैक्टेयरन भूमि अंकित की गई है, जो पूर्व से 0.02 हैक्टेयर कम है, जबकि प्रतिवादीगण को हाल खसरा नम्बर 47, 48, 84 एवं 83 में पूर्व से 0.2 हैक्टेयर वर्तमान खसरा नम्बर 54 में पूर्व से 0.03 हैक्टेयर व वर्तमान खसरा नम्बर 56 में 0.01 हेक्टेयर भूमि अधिक दी गई। यह कि प्रतिवादी संख्या 7 प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 के खातेदारी की भूमि के साथ ही वादीगण के खातेदारी की भूमि जो अवैध व गैरकानूनी रूप से उनके नाम अंकित की गई थी, पर आवासीय प्रयोजनार्थ लीज डीड जारी करने पर पूर्णरूपेण आमादा हो रहा है। दिनांक 03.08.2007 को जब वादीगण ने प्रतिवादी संख्या 7 के कार्यालय में भूमि बाबत जानकारी की तो वादीगण को बताया गया कि इस भूमि के शीघ्र ही पट्टा जारी किये जा रहे है, वादीगण द्वारा यह कहने पर कि इस भूमि में गलत रूप से हमारी भूमि मिला दी गई है, आप सारी जमीन के पट्टा कैसे जारी कर सकते है, प्रतिवादी संख्या 7 के कर्मचारी नहीं माने तथा पट्टा जारी कर भूमि को कृषि भूमि से आवासीय प्रयोजनार्थ रूपान्तरण करने की धमकियाँ देने लगे। इस कारण वादीगण को यह आवश्यक हो गया कि वे प्रतिवादी को उक्त कृत्य नहीं करने हेतु जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द कराये। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 द्वारा वादीगण के खातेदारी की 0.07 हैक्टेयर भूमि क्रय कराकर भू-प्रबन्ध विभाग द्वारा अवैध रूप से अपने नाम अंकित करा लेने दिनांक 28.07.2007 को वादीगण की भूमि को प्रतिवादी संख्या 7 के नाम जरिये नामान्तरकरण संख्या 151 द्वारा करा देने तथा दिनांक 03.08.2007 को प्रतिवादी संख्या 7 द्वारा भूमि को कृषि से अकृषि में परिवर्तित कर आवासीय पट्टा जारी करने की धमकी देने के कारण वादीगण को बाद कारण उत्पन्न हुआ




राजस्व अपील प्राधिकारी
 जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

| | | |
|-------------|--|--|
| तारीख हुक्म | पीताम्बर बनाम कन्हैयालाल हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
| | <p> तथा वादीगण को यह दावा माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है। वाद पत्र के अन्त में ईस्तदुआ चाही गयी कि वाद बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जाकर ग्राम नरसिंहपुरा उर्फ रिक्श तहसील सांगानेर जिला जयपुर स्थित वाद पत्र में वर्णित भूमि हाल खसरा नम्बर 46, 47, 48, 83, 84 में से 0.02 हैक्टेयर हाल खसरा नम्बर 54 में से 0.03 हैक्टेयर तथा भूमि हाल खसरा नम्बर 56 मे से रकबा 0.01 हैक्टेयर कम की जाकर वादीगण के खातेदारी में घोषित किया जावे एवं वादीगण के नाम खातेदारी में अंकित कर राजस्व रेकार्ड में दुरूस्ती फरमाई जावे एवं प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द फरमाया जावे। </p> <p> अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत होने पर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये। तत्पश्चात प्रतिवादी संख्या 1 लगा. 5 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी एवं प्रतिवादी संख्या 6 व 7 की और से जवाब प्रस्तुत किये जाने का कई अवसर दिये जाने के पश्चात भी जवाब प्रस्तुत नहीं किये जाने पर प्रतिवादी संख्या 6 व 7 का जवाब बन्द कर दिया गया। तत्पश्चात अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादी गण के अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस समायत कर निर्णय व डिक्री दिनांक 29/05/2009 पारित करते हुये वादीगण का वाद डिक्री फरमा दिया गया। जिसके विरुद्ध अपीलार्थीगण द्वारा इस न्यायालय के समक्ष यह अपील प्रार्थना पत्र धारा-96 जाप्ता दीवानी एवं धारा-5 कानून मियाद के साथ प्रस्तुत की गयी, जिस पर अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी। </p> <p> अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। उद्धरित तथ्यों से यह स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी प्रश्नगत भूमि के क्रेता की हैसियत से विवादग्रस्त भूमि से हितबद्ध पक्ष है, ऐसेमें अपील में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा-96 जाप्ता दीवानी एवं प्रार्थना पत्र धारा-5 मियाद अधिनियम न्यायहित में स्वीकार किये जाकर अपील प्रस्तुत करने की ईजाजत प्रदान करते हुये अपील को अन्दर मियाद शुमार की जाती है। गुणावगुण पर उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का मय अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अवलोकन किये जाने से यह जाहिर होता है कि प्रश्नाधीन वाद मूल खातेदारान के विरुद्ध घोषणा का है एवं अपीलार्थी पश्चातवर्ती क्रेता है, ऐसेमें अधीनस्थ न्यायालय द्वारा समस्त विधिक प्रक्रियाओ की अनुपालना कर पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य-सबूत/दस्तावेजात का विस्तृत </p> | |




 राजस्व अपील प्राधिकारी
 जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

पीताम्बर

बनाम

कन्हैयालाल

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुकम की तामील
में जारी हुए

तारीख हुकम

33
2026

परिक्षण करते हुये पारित किये गये अपीलाधीन निर्णय व डिक्री में कोई त्रुटी प्रतीत नही होने से उसमे कोई हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित्त प्रतीत नही होता है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 29/05/2009 विधिसम्मत जाहिर होने से यथावत रखे जाकर अपील अपीलार्थी खारिज की जाती है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 25/02/2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

